इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 498] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 15, शक 1934

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2012

क्र. 24858-वि.स.-विधान-2012.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 29 सन् 2012) जो विधान सभा में दिनांक 6 दिसम्बर, 2012 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २९ सन् २०१२

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०१२

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१२ है.

(२) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ६-क का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ७ सन् १९७३) की धारा ६-क में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''(१) मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१२ के प्रारंभ से, प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में किसी भी कालावधि के लिए कार्य किया है, पन्द्रह हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन का भुगतान किया जाएगा:

परंतु जहां किसी व्यक्ति ने, पांच वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य के रूप में कार्य किया है, वहां उसे पांच वर्ष के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष के लिए पांच सौ रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाएगा और किसी सदस्य की अवधि के अंतिम वर्ष की छह मास या अधिक की कालावधि अतिरिक्त पेंशन प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए पूर्ण वर्ष समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश विधान सभा का कोई सदस्य पेंशन के लिए पात्र होगा, यदि उसने कम से कम पांच वर्ष की कालावधि तक कार्य किया हो. अतएव, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ७ सन् १९७३) की धारा ६-क में यथोचित् संशोधन प्रस्तावित किया गया है ताकि वह पेंशन के लिए पात्र हो सके, यदि उसने किसी कालावधि के लिए कार्य किया है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

डॉ. नरोत्तम मिश्रा

तारीख २७ नवम्बर, २०१२ भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित''.

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड २ में निहित प्रावधान के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानत: रुपये १५,६०,०००/- (रुपये पंद्रह लाख, साठ हजार) मात्र का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 504] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 16, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2012

क्र. 7542-361-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 29 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 29 OF 2012.

THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION (DWITIYA SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2012

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-third year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2012.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

Amendment of Section 6-A.

2. In Section 6-A of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No.7 of 1973), for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) With effect from the commencement of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2012, there shall be paid a pension of fifteen thousand rupees per mensem to every person who has served for any period as a member of the Madhya Pradesh Legislative Assembly:

Provided that where a person has served as a member of the Madhya Pradesh Legislative Assembly for a period exceeding five years, there shall be paid to him an additional pension of five hundred rupees per mensem for every year in excess of five years, and the period of six months or more of the last year of the term of any member shall be deemed whole year for the purpose of earning additional pension."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

A member of the Madhya Pradesh Legislative Assembly is eligible for pension if he has served atleast for a period of five years. Therefore, suitable amendment is proposed in Section 6-A of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No.7 of 1973) so that he would be eligible for pension if he has served for any period.

2. Hence this Bill.

BHOPAL :
DATED the 27th November, 2012

DR. NAROTTAM MISHRA
Member-in-Charge.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.